

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

25

प्रार्थी
दीपाराम पुत्र हकमाराम, जाति गाडोलिया
लुहार, निवासी मुकनपुरा(जाणुन्दा), तहसील
मारवाड जंक्शन, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड
जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

प्रकरण संख्या 29/2019
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2019/00081)
किस्म मुकदमा : स्थगन प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.5.2019	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 379/2019 बनवान सरकार बनाम दीपाराम में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2019 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.05.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति.जिला कलेक्टर,पाली</p>	<p>510 6/5/19</p>
13/5/19	<p>वफुलाप 54.1</p> <p>वकील अफीलाट न मूल अपील मिला पेश की गई आज पेश की गई नोटिस के साथ आज पेश हुई। प्रभावली भाई डा मूल अपील के साथ दिनांक 15/05/19 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
15/5/19	<p>वफुलाप 54.01</p> <p>प्रभावली मूल अपील के साथ पेश हुई मूल अपील में निर्णय पारित किया जा चुका है। स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रभावलीन होने से शरारित किया जाता है। प्रभावली मूल अपील के साथ नए ही लेकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	